बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–07 / 2023–24

पत्रांकः / कोपरिया, दिनांकः

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया ।
2. निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि :– दिनांक 29.01.2024 से 02.02.2024 तक (कार्यालय अवधि में)।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 03.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक।
4. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 03.02.2024 अपराह्न 3.30 बजे।
5. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :–
   1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बीरपुर ।
   2. अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा ।
   3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– क्रमांक–5 के सभी कार्यालयों में ।
7. **कार्य की विवरणी**

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (लाख रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में) लौटायी नहीं जायेगी।	कार्य पूरा करने की अवधि।
1	3	4	5	6	7
1.	पूर्वी तटबंध प्रमण्डल कोपरिया के अन्तर्गत प्रमण्डलीय कार्यालय सह निरीक्षण भवन का मरम्मति कार्य ।	3.50	0.07	750.00	29.02.2024

8. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त्त, नियम, आर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है । साथ ही विस्तृत सूचना वेबसाईट www.wrdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।

कार्यपालक अभियंता
पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया
मो0– 7463889492

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है । धर्म–ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें ।

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा । अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/–रू॰ के गुणक में होगा ।
2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किए जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जाएगी।
3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया में भुगतेय हो अथवा नगद राशि के रूप में जमा करने पर ही निर्गत किया जायेगा, निर्धारित अवधि में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में उपलब्ध कराने पर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा ।
4. निविदा दो मुहरबंद (लाह/चपड़ा से सील) लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को (एक लिफाफे में संकलित कर) समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 05 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र प्रीक्वालीफिकेशन वाले लिफाफे को ही खोला जायेगा। प्रीक्वालीफिकेशन करने वाले निविदाकारों के दूसरे लिफाफा जिसमें प्राईस बीड रहेगा को बाद में प्रीक्वालीफाईंग बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार प्रीक्वालीफाई बीड में असफल होगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589(), पटना, दिनांक 13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी–4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे । जिस जिला में कार्य होना उसी जिला से निबंधित संवेदक ही उक्त निविदा में भाग ले सकते हैं ।
6. निविदादाता के प्री क्वालीफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति देना अनिवार्य है।
   - (क) निविदादाता का चतुर्थ श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र ।
   - (ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित करना अनिवार्य है। (मूल प्रति में)
   - (ग) निम्न आशय का शपथ–पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है–**"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".**

प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं विभागीय पत्रांक 528 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप कागजातों के आधार पर होगा।

7. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके ।

8. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।

9. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ–साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगा ।

11. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा । जल संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या–9941/2022 में दिनांक 06.07.2023 को पारित न्यायादेश एवं जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/PMC/न्यायालय/01/ 2022–536, पटना दिनांक–18.07.2023 का अनुपालान अनिवार्य होगा, तदनुसार प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।

12. सफल निविदादाता को जनकार्य प्रपत्र एफ–2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।

13. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरूद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आबंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी ।

14. 01 प्रतिशत सेस की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।

15. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी ।

16. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर जी जायेगी । इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है । यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाए तो निविदा खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी ।

17. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती आपूर्तिकर्त्ता / कार्य ठीकेदारों के विपत्र से की जाएगी।

18. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट् पर देखें।

19. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा ।

20. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

21. एकरारनामा के समय श्रम अनुज्ञप्ति, पैन कार्ड एवं अन्य आवश्यक कागजात का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा ।

22. संवेदक द्वारा Call before you Dig App का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया

पत्रांक ..../ कोपरिया दिनांक ..../2024

प्रतिलिपि :– निविदा सूचना की सात प्रतियॉ एवं सी0डी0 के साथ सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग पटना को सूचनार्थ एवं दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में लगातार दो दिनों तक प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया

पत्रांक ......67......................../ कोपरिया दिनांक ....18/01................................/2024

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं वृहत्त प्रचारार्थ समर्पित :–

1. अधीक्षण अभियंता पूर्वी कोशी तटबंध अंचल सहरसा।
2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग वीरपुर।
3. जिला पदाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक सहरसा।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर।
5. अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर।
6. थाना प्रभारी, सलखुआ।
7. सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी (प्रमंडलाधीन)
8. प्रमंडलीय सूचनापट्ट।

18/01/24
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया

Dharmjeet
18/01/024